**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3105

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**प्रयोगशालाएं स्थापित करने के संबंध में संस्कृत**

**आयोग के सुझाव**

**3105. श्री प्रभात झाः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूसरे संस्कृत आयोग ने ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का सुझाव दिया था, जहां वैदिक, वैज्ञानिक प्रथाओं, यज्ञों की वैज्ञानिकता और उपचार तथा वर्षा अनुष्ठानों आदि पर अध्ययन एवं शोध् किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या दूसरे संस्कृत आयोग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं भारतीय प्रबंध् संस्थानों में संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का भी सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या निर्णय लिया गया है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (घ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 18.11.2015 को श्री एन. गोपालस्‍वामी, कुलपति, राष्‍ट्रीय संस्‍कृत विद्यापीठ, तिरूपति की अध्‍यक्षता में संस्‍कृत के विकास के लिए एक दीर्घकालिक विजन और रोडमेप सुझाने के लिए एक समिति गठित की थी जिसने फरवरी, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की। समिति ने अपनी सामान्‍य सिफारिशों के तहत (i) स्‍कूल शिक्षा; (ii) उच्‍चतर शिक्षा, (iii) स्‍कूल स्‍तर पर पारंपरिक शिक्षा, (iv) कॉलेज स्‍तर पर पारंपरिक शिक्षा, (v) वेद विद्या हेतु सिफारिशें, (vi) वेद विद्या का परिरक्षण, प्रसार और अनुरक्षण, (vii) वेद विद्या के विकास हेतु योजनाएं, (viii) संस्‍कृत के विकास हेतु योजनाएं, (ix) अष्‍टादाशी (संस्‍कृत के विकास के अनुरक्षण और विकास हेतु अठारह परियोजनाएं) में अनेक सिफारिशें की थीं। इसके अलावा, समिति ने शिक्षक प्रशिक्षण, संस्‍कृत स्‍कूल और कॉलेजों में आईसीटी, अतिरिक्‍त मानव संसाधन, संस्‍कृत विद्वानों को बुलाने आदि पर भी कई सिफारिशें की थीं। मंत्रालय ने इन सिफारिशों को सभी ब्‍यूरो/संबंधित संगठनों के प्रमुखों को अग्रेषित किया है कि वे इस मामले को देखें और उन सिफारिशों का कार्यान्‍वयन करें जो मंत्रालय के मौजूदा नीति फ्रेमवर्क के अंदर कार्यान्‍वयन करने लायक है। इसके अतिरिक्‍त डॉ. के. कस्‍तूरीरंगन की अध्‍यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसे 31.03.2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करना अपेक्षित है।

**\*\*\*\*\***